



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 162264

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26924 / 2026**

संध्या सिंह

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदिका के अधिवक्ता : सौरभ चतुर्वेदी, शिवाजी सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., सौरभ कुमार पाण्डेय

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. श्री सौरभ कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने इस न्यायालय की रजिस्ट्री में सूचनाकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया है और इसी कारण उनका नाम वाद सूची में प्रदर्शित नहीं हो सका।
2. आवेदिका की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आई.के. चतुर्वेदी, जिनकी सहायता श्री सौरभ चतुर्वेदी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई; सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार पाण्डेय तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री कुँवर तेजेन्द्र बहादुर को सुना गया।
3. प्रस्तुत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 71 वर्ष 2026, धारा 103(1), 123 एवं 351(3) बी.एन.एस., थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदिका एक महिला है और उसे इस मामले में उसकी पुत्री के साथ आरोपी बनाया गया है। आरोप के अनुसार, आवेदिका ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर मृतक को विषैला पदार्थ दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आवेदिका के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः झूठे हैं।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक की मृत्यु से पूर्व उसका मृत्यु-पूर्व कथन भी दर्ज किया गया था, जिसे पत्रावली के पृष्ठ 55 पर संलग्न किया गया है। उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सह-अभियुक्त अर्चना मृतक की प्रेमिका थी और उसी ने उसे विषैला पदार्थ दिया था। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल इसलिए कि आवेदिका सह-अभियुक्त अर्चना की माता है, उसे भी अर्चना के साथ इस मामले में आरोपी बना दिया गया है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 18.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. मृतक की मृत्यु से पूर्व दर्ज किए गए मृत्यु-पूर्व कथन को ध्यान में रखते हुए, उससे यह परिलक्षित होता है कि मृतक के अनुसार सह-अभियुक्त अर्चना उसकी प्रेमिका थी और उसी ने उसे विष दिया था।
10. मामले के तथ्यों तथा मृतक के मृत्यु-पूर्व कथन को ध्यान में रखते हुए, आवेदिका की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि आवेदिका सह-अभियुक्त अर्चना की माता है और इसी कारण उसे भी उसके साथ इस मामले में आरोपी बनाया गया है, इस स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इसके अतिरिक्त, आवेदिका एक महिला है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 18.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
12. अतः उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।
13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
14. आवेदिका-संध्या सिंह को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-
- (i) आवेदिका नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
  - (ii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को इस प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
  - (iii) आवेदिका किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।
15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को आवेदिका की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

दिनांक : 04 अगस्त, 2026

अंकिता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।